फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) एवं सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या – 136/2018
किस्म मुकदमा – प्रतिकर निर्धारण

उनवान

1.	परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भीलवाड़ा	बनाम	1.	ग्राम पंचायत रूपाहेली कलां, तहसील हुरड़ा, जिला भीलवाड़ा
	––प्रार्थी			–विपक्षी

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 के छः:लेन निर्माण/चौडाकरण हेतु अवार्ड अन्तर्गत धारा 3G राष्ट्रीय राजमार्ग भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1956 एवं Section 24 of RFCTLARR Act, 2013 to Acquisition Under NH Act, 1956 के अन्तर्गत प्रतिकर निर्धारण

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम, जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16/04/19	:: आदेश :: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 79 के छः लेन निर्माण/चौड़ाकरण के लिए अतिरिक्त भूमि अवाप्ति हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1956 की धारा **3 A (1)** के अन्तर्गत अधिसूचना **दिनांक 21/08/2017** को प्रकाशित की गयीं, जिसका प्रकाशन दो स्थानीय समाचार पत्रो में **दिनांक 02/09/2017** को किया गया। इसके उपरान्त विहित अधिनियम की धारा **3 D (1)** के अन्तर्गत अधिसूचना **दिनांक 01/03/2018** को प्रकाशित की गयीं, जिसका प्रकाशन दो स्थानीय समाचार पत्रो में **दिनांक 21/03/2018** को कराया गया। सूचना प्रकाशन होने के उपरान्त विहित अधिनियम की धारा **3 D (2)** के अनुसार अवाप्ताधीन भूमि समस्त भारो से मुक्त होकर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारत सरकार में निहित हो चुकी है। हितबद्ध व्यक्ति को राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा **3 G** अर्थात **3 G (1)(2)(7)** के अन्तर्गत प्रतिकर के रूप में संदेय रकम का अवधारण करने से पूर्व हितबद्ध व्यक्ति को प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के अध्ययधीन उनका दावा आमंत्रित करने की भी सूचना प्रकाशित अधिसूचना के साथ जारी की गई। अधिसूचना प्रकाशन के पश्चात विपक्षी द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति अथवा प्रतिकर निर्धारण हेतु क्लेम प्रस्तुत नहीं हुआ लेकिन तहसीलदार हुरड़ा द्वारा प्रस्तुत सत्यापन रिपोर्ट अनुसार **राजस्व ग्राम रूपाहेली कलां तहसील हुरड़ा की अवाप्ताधीन आराजी नं0 3955/1244 किस्म गै0मु0आबादी में से 0.0640 हैक्टयर** भूमि अवाप्ताधीन हैं। तहसीलदार हुरड़ा ने पत्र दिनांक 22/11/2018 से स्पष्ट किया कि उक्त अवाप्ताधीन भूमि का सम्पूर्ण रकबा पट्टेदारो का ही प्रभावित हो रहा हैं। ग्राम पंचायत के स्वामित्व की कोई भूमि अवाप्ति में नहीं हैं। उक्त अवाप्ताधीन आराजी नं0 3955/1244 में हितबद्धधारियों की अवाप्ताधीन भू–खण्ड़ से संबंध में प्रकरण सं0 133/18, 134/18 एवं 135/18 प्रतिकर प्रकरण संस्थित किये जाकर प्रतिकर निर्धारण कर अवार्ड जारी किये जा चूके हैं। अवाप्ताधीन आराजी नं0 3955/1244 में ग्राम पंचायत के स्वामित्व की कोई भूमि अवाप्ति में प्रभावित नहीं हैं। अतः प्रकरण खारिज किया जाता हैं। पत्रावली बाद दाखला रजिस्टर के नम्बर से कम होकर फैसल शुमार की जावे।	

अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन)

प्रतिलिपि – सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं –

1. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भीलवाड़ा
2. तहसीलदार, हुरड़ा
3. ग्राम पंचायत रूपाहेली कलां, तहसील हुरड़ा, जिला भीलवाड़ा

अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन)
एवं सक्षम अधिकारी (भूमि अवाप्ति)
भीलवाड़ा

अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन)
एवं सक्षम अधिकारी (भूमि अवाप्ति)
भीलवाड़ा